भारतीय ज्ञान संवर्धन योजना

प्रतियोगी शोध प्रस्ताव कार्यक्रम 2022-2023

आवेदन एवं अनुदेश

प्रतियोगी अनुदान कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ 2
प्रस्ताव निर्मिति एवं पात्रता मानदंड	पृष्ठ 6
समीक्षा प्रक्रिया एवं मूल्यांकन मानदंड	पृष्ठ 9
प्रस्ताव निर्देशन	पृष्ठ 11
प्रस्ताव प्राकृति (टेम्पलेट)	पृष्ठ 13-19

स्मरणीय तिथियाँ

प्रस्ताव की अंतिम तिथि	अक्टुबर 30, 2022
चयन की घोषणा	नवंबर समाप्ति 2022
वित्तीय उपलब्धता	दिसंबर, 2022 के मध्य तक
प्रगति प्रतिवेदन देय	जुलाई 1, 2023
परियोजना की समीक्षा	दिसंबर, 2023
अंतिम प्रतिवेदन देय	दिसंबर 31, 2024

संपर्क: ई संकेत: iksresearch@aicte-india.org दूरभाष: 011 29581523

प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण वेबसाईट: https://iksindia.org/iks-center-form.php

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग (आईकेएस) के सम्बन्ध में

अधिकांश ज्ञात इतिहास के लिए एक जीवंत एवं पुरातन सभ्यता, जो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान एवं विनिर्माण का वैश्विक केंद्र थी। एक ऐसी संस्कृति, जिसने मानवता के समस्त आयामों के विकास पर बल दिया एवं परस्पर सद्भाव के साथ-साथ पर्यावरण एवं इसके विस्तृत स्वरुप अर्थात ब्रह्मांड के साथ भी मनुष्य का एकात्म भाव जागृत किया। विश्व भर के सामयिक घटनाक्रम भलीभांति स्पष्ट कर रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रारूप विकृत एवं प्रकृति विरुद्ध है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण विश्व भर में बढ़ती असमानताएं विकास के नवीन प्रतिमानों की प्रबल आवश्यकता की ओर इंगित करती है।

"वसुधैव कुटुम्बकम" के उदार भाव से ओतप्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (आईकेएस) एकमात्र भारतीय पद्धति है जो समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। एआईसीटीई स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग का प्रमुख ध्येय विद्यार्थी पीड़ियों के लिए ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया का प्रारम्भ करना है कि वे समस्त विश्व का परिचय भारतीय पद्धतियों से करा सकें। यदि हम इस शताब्दी में स्वयं को 'विश्व गुरु' के रूप में प्रस्तुत चाहते हैं, तो अत्यावश्यक है कि हम अपनी पारंपरिक धरोहर को जाने एवं विभिन्न कार्यों के निष्पादन की 'भारतीय पद्धति' से देश ही नहीं, समस्त विश्व को अवगत कराएं। **इसी दृष्टिकोण के साथ शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग की स्थापना एआईसीटीई में की गयी थी, जो भारतीय ज्ञान परम्परा के समस्त पक्षों पर अंतर्विषयक एवं संघीय-अंतर्विषयक (ट्रांस इंटरडिसिप्लिनरी) अनुसंधान का अभिवर्धन करने तथा आगामी शोध एवं सामाजिक अनुप्रयोगों के निमित्त आईकेएस से सम्बद्ध ज्ञान का संरक्षण एवं प्रसार करने हेतु प्रयासरत है।**

<u>आईकेएस प्रभाग के कार्य</u>

1) विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए आईकेएस आधारित अंतर्विषयक एवं संघीय अंतर्विषयक कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, इसे सुगम करना साथ ही निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे जुड़ने हेतु प्रेरित करना।

2) संस्थानों, केंद्रों तथा व्यक्तिगत रूप से शोधरत, शोधकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए विषयवार अंतर्विषयक अनुसंधान समूहों की स्थापना, मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना।

3) लोकप्रचार योजनाओं का निर्माण एवं प्रोत्साहन देना।

4) विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना एवं अनुसंधान करने हेतु तंत्र विकसित करना।

5) आईकेएस के उन्नयन के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, नीतियों की अनुशंसा करना।

आईकेएस प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय@एआईसीटीई के द्वितीय प्रतियोगी शोध प्रस्ताव कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रतियोगी शोध अनुदान कार्यक्रम शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करने तथा इनके वित्त पोषण के उद्देश्य से रारूपित किया गया है जो आईकेएस प्रभाग के शोध अभियान में योगदान करेगा। हमारा लक्ष्य प्रेरण अनुदान देना है जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों में निहित मूल, गंभीर एवं गहन विद्वतापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है तथा भारत में आईकेएस शोध को पुनः जीवंत करता है। प्रतियोगी अनुदान कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए उपलब्ध यह धनराशि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया विवेकानुदान है, जो आईकेएस प्रभाग की गतिविधियों के समर्थन के निमित्त है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधि का स्तर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रभाग का प्रत्येक प्रस्ताव आमंत्रण, आईकेएस सम्बंधित शोधकर्ता समुदाय की प्रतिक्रियाओं एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित किये गए कुछ विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।

ऐसे शोध वित्त पोषण जो अंततः गहन बोध या व्यावहारिक उत्पादों अथवा समकालीन समस्याओं के समाधान की ओर ले जाने वाले होंगे, सर्वोच्च प्राथमिकता की श्रेणी में होंगे । समकालीन सामाजिक समस्याओं के निराकरण अथवा भारतीय ज्ञान प्रणालियों का गहन बोध के लिए शोध प्रस्ताव अंतर्विषयक होना चाहिए जिसमें पारंपरिक अवधारणायें, विधियाँ, तकनीकें अथवा ऐसे मार्ग जो आवश्यक होने पर आधुनिक उपकरणों एवं दृष्टिकोणों का उपयोग कर सकें का अध्ययन सम्मिलित है। अनुसंधान प्रस्ताव सहयोगात्मक प्रकृति के होना चाहिए तथा पारंपरिक ग्रंथों एवं प्रक्रियाओं में भलीभांति प्रवीण एवं इसके माध्यम से जहां भी संभव हो, आधुनिक विज्ञान के विकास हेतु तुलनात्मक अध्ययन में सक्षम पारंपरिक अध्येताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

आमंत्रित प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित शोध प्राथमिकता क्षेत्र हैं। हमारा मंतव्य वित्त - उपलब्धता के अधीन प्रत्येक क्षेत्र में 5-6 उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रस्तावों का समर्थन करना है। किन्तु यदि हमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम एक विषयगत क्षेत्र में किसी भी प्रस्ताव को निधि नहीं देने का अधिकार भी रखते हैं।

1. **<u>गणित एवं खगोल विज्ञान:</u>** भारत में गणित और खगोल विज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। आज विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला अधिकांश गणित या तो भारत में उत्पन्न हुआ या विकसित हुआ। भारतीय गणित में परिष्कृत अवधारणाएँ सम्मिलित थीं जो व्यावहारिक रूप से भी अत्यंत उपयोगी थी। मूल ग्रंथों अथवा प्राचीन संरचनाओं एवं उपकरणों के अध्ययन के माध्यम से गणित तथा खगोल विज्ञान (यहाँ अभिप्राय ज्योतिष से नहीं है) की ऐतिहासिक विकास यात्रा के अन्वेषण लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पर्व एवं कृषि कार्यों के मुहूर्त/समय निर्धारण के लिए खगोलीय घटना एवं पंचांग के बीच संबंध, खगोलीय प्रतिरूप में उत्पन्न आवधिक त्रुटि के संशोधन की पारंपरिक प्रक्रियाएं, भारतीय गणित एवं खगोल विज्ञान में विकसित अल्गोरिद्म की सरलता एवं इष्टतमता (ओप्टिमिटी) का अध्ययन आदि हमारी प्राथमिकता है।
2. **धातुकर्म तथा भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** धातु विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में भारतीय अग्रणी थे। इनमें से कई प्रौद्योगिकियां तो आज लुप्त होने की स्थिति में हैं। कलात्मकता को संरक्षित करने, इसका बोध करने एवं इसे अद्यतन करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

विभिन्न धातुओं एवं मिश्र धातुओं की पारंपरिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के अध्ययन एवं आधुनिक संदर्भ में इन भारतीय धातुकर्म प्रौद्योगिकियों के संभावित अनुकूलन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पारंपरिक भारतीय धातुकर्म प्रक्रियाओं में उपयोग की जाने वाली निर्माण प्रक्रियाओं का तकनीकी दृष्टिकोण से ज्ञान सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त ऐतिहासिक कलाकृतियों के अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

3. **रासायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** भारत में, रसायन शास्त्र को रस-शास्त्र के रूप में विशेष पदनाम दिया गया था, अर्थात् संहिताबद्ध ज्ञान की एक प्रणाली। मिश्र धातु, अम्ल, क्षार, लवण एवं अन्य रसायनों के उत्पादन की कई विधियों का विकास किया गया, उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण किया गया तथा भारतीय वस्त्रों, कलाओं, भित्ति चित्रों, औषधिओं, गारा तथा रंजक सहित विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया गया। विशेष रूप से औषधिओं, गारा तथा रंजक एवं रंगद्रव्य एवं अन्य सामग्री सिद्ध करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के पुनर्निर्माण पर केन्द्रित रसायन विज्ञान से सम्बंधित शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पर्यावरण के अनुकूल, विष-विहीन तथा जैव-आधारित रंग एवं रंजकों, मंदिरों तथा गुफाओं में स्थित भित्ति चित्रों एवं पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में उपयोग किये जाने वाले रंग-बंधकों के पुनर्निर्माण प्राथमिकता में होंगे।

4. **स्वास्थ्य, कल्याण एवं चेतना अध्ययन:** स्वास्थ्य एवं कल्याण अध्ययन के विषय आयुर्वेद को भारत में "उपवेद" की मान्यता दी गयी है। आयुर्वेद के प्रणालीगत दृष्टिकोण एलोपैथी उपचार पद्धति के पूरक के रूप में मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए नई अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। भारत में चेतना-अध्ययन (कोन्शिअसनेस स्टडी) की अत्यधिक दीर्घ परंपरा है एवं भारत में विकसित इन दृष्टिकोणों को विभिन्न समकालीन अध्ययनों में खोजा जा रहा है। आयुर्वेद, बौद्धों के विपश्यना (माइंडफुलनेस) दृष्टिकोण, भारतीय परंपराओं पर आधारित स्वास्थ्य, कल्याण एवं चेतना अध्ययन के क्षेत्रों में नवीनतम अध्ययन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिभागियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर व्यक्तिगत विरुद्ध समूह विन्यास में ध्यान, मंत्र जप एवं कीर्तन जैसी आध्यात्मिक पद्धतियों के प्रभाव के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है।

5. राजनीतिक एवं आर्थिक विचार, अर्थशास्त्र एवं विदेश नीति: भारत राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन क्षेत्रों राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में श्रेष्टतम ज्ञान की भूमि है, जैसा कि हमारे महान महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत में तथा शुक्राचार्य एवं आचार्य विष्णुगुप्त जैसे विचारकों के गहन कार्यों में वर्णित है। पूर्व की कुछ सहस्राब्दियों के भारतीय साम्राज्यों में मौर्य, गुप्त, चोल, पल्लव तथा विजयनगर सम्मिलित थे, जिनकी समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, अंतरमहाद्वीपीय व्यापार थे तथा जिन्होंने विश्व के सभी कोनों में सांस्कृतिक राजदूत भेजे, यहाँ तक कि आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए सैन्य अभियान भी भेजे। अर्थशास्त्र, राजनीति एवं विदेश नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या था? उनके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या थे? एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति भारत को कब एवं किन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति पतन हो गया? इसके क्या कारण थे? विशेष रूप से 1800 ईस्वी से पूर्व की अवधि में इस धरोहर पर अपेक्षाकृत अल्प अध्ययन किया गया है। भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों एवं विदेश नीति के बोध के लिए इन पक्षों का विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारत के अतीत से संबंधित इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर केंद्रित शोध प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

6. **संवहनीय (सस्टेनेबल) कृषि एवं खाद्य संरक्षण :** कृषि के अनुकूल एक व्यापक क्षेत्र होना भारत का सौभाग्य है जो इसकी समृद्धि का आधार है। जनसंख्या में चार गुना वृद्धि के उपरांत भी हरित क्रांति के आगमन के साथ राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी थी। यद्यपि यह तीव्रता से स्पष्ट हो रहा है कि कृषि की औद्योगिक प्रक्रियायें अक्षय नहीं हैं एवं इसके परिणामस्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य का अधोगमन हो रहा है। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को विपत्ति में डाले बिना अधिक संवहनीय कृषि की ओर अग्रसर होने के लिए भारत की पारंपरिक पद्धतियों से प्रेरित विकल्पों को विकसित करने की आवश्यकता है। पारंपरिक वैकल्पिक कृषि क्षेत्रों के साथ-साथ कीटनाशकों के प्रतिस्थापन पर केंद्रित शोध प्रस्ताव हमारी प्राथमिकता हैं। भारत की पारंपरिक पद्धतियों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों या रणनीतियों को विकसित करने संबंधी प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7. जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा दृष्टिकोण: भारत ने अपने दीर्घ इतिहास में बाढ़, अनावृष्टि एवं असमान वर्षा स्थितियों सहित अनेकों प्राकृतिक अनियमितताओं का सामना किया है। इन चुनौतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने एवं इनका समाधान करने के लिए झीलों, तालाबों, जल संचयन प्रणालियों एवं जल प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण हेतु भारतीय पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया गया। बहुधा ये प्रक्रियाएं एवं रणनीतियाँ बहुआयामी हुआ करती थी एवं मनुष्यों ही नहीं अपितु पशुओं की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने में सक्षम थी, अर्थात उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विषयगत क्षेत्र में, समकालीन समस्याओं को हल करने से सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से प्रेरित जल संचयन, सिंचाई एवं जल प्रबंधन तकनीकों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस विषय के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावकों को प्रस्ताव पर आधारित एक प्राथमिक पाठ्य या एक मौखिक परंपरा को उद्धृत करना एवं पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण को सुनिश्चित करते हुए आधुनिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा इसकी समुन्नति करना सम्मिलित है। एक पारंपरिक तकनीक की पुनरावृत्ति करना मात्र या आधुनिक जल प्रबंधन तकनीक का उपयोग मात्र कर लेना इस विषय के प्रति उत्तरादायित्व के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा।

8. वास्तुशिल्प अभियान्त्रिकी, वास्तु एवं शिल्प शास्त्र: भारत अपनी शोभनीय वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन भवनों की योजना एवं निर्माण कैसे किया गया था? इन अतुल्य संरचनाओं के निर्माण के समय आहार संचालन अदि की योजना एवं कार्यान्वयन कैसे किया गया? कच्चे माल, मानव तथा भौतिक संसाधनों के लिए आपूर्ति का क्या प्रबंधन था? भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग उन प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आमंत्रित करता है जो किसी विशेष संरचना की गहन खोज से सम्बंधित विवरण प्रस्तुत करता हो। वास्तुशिल्प अभियांत्रिकी, वास्तु एवं शिल्प शास्त्रों के सामान्य पक्षों के अध्ययन मात्र से सम्बंधित प्रस्तावों में भारतीय ज्ञान परम्परा प्रभाग रुचि नहीं रखता है।

9. **सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित नवीन सार्वभौमिक समाजशास्त्रीय प्रतिरूप :** विचार करने की भारतीय पद्धति केवल स्वयं हित में न होकर सदैव लोकहित से संबंधित हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त भारतीय परंपराओं में निहित सिद्धांत-निर्माण प्रक्रिया में अनुबन्ध चतुष्टय का पालन किया जाता था, जिसमें विषय, फल (प्रयोजन), अधिकारी एवं संबंध सम्मिलित हैं। इसे मुख्यधारा के समाजशास्त्रीय चिंतन में कैसे एकीकृत किया जा सकता है? अत: ऐसे उपकरणों के एक नए समूह का उपयोग करके समाजशास्त्रीय

विश्लेषण की भारतीय पद्धतियों का विकास किये जाने की गंभीर आवश्यकता है जो सामाजिक तथ्यों के एक बड़े एवं ऐसे समूह की व्याख्या करते हैं जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम प्राप्त करने में सहायक हैं एवं जो किसी अन्य साधन (प्रमाण) द्वारा निश्चित नहीं किया जाते। हमारी लोककथाओं, गीतों एवं प्रदर्शनों को समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, लोककथाशास्त्रीय एवं सामाजिक तथा व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत लाने एवं उनके विश्लेषण की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक आवश्यकता है। क्या पाणिनि एवं भर्तृहरि के ग्रंथों का उपयोग एक सार्वभौमिक समाजिक-भाषा शास्त्रीय सिद्धांत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है? भारतीय समाजशास्त्र सम्बंधित वर्ग जो इस बात का अन्वेषण करते हैं कि स्वदेशी अनुगमनात्मक एवं निगमनात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग करके भारतीय अभिप्राय कैसे निकालते हैं एवं इन अर्थों को संप्रेषित कैसे किया जाता है, एवं जो वेदों के आत्म-कर्तृगामी, आत्म-चेतित समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र पर आश्रित हैं, एक अन्य क्षेत्र है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी उत्पत्ति अकादमिक अध्ययन में निहित है कि कैसे संकेत एवं प्रतीक (दृश्य एवं भाषाई रूप में) अर्थ निर्मित करते हैं। क्या कुछ दोषों (प्रतिस्पर्धा भाव, स्वानुराग, आक्रामकता एवं पाखंड) पर अंकुश लगाने तथा कुछ गुणों (जिज्ञासा, दया, सम्मान एवं संयम) को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल/सामाजिक प्रसार माध्यम का भारतीय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है? भारतीय समाजशास्त्र ऐसा क्या प्रस्तुत कर सकता है जो व्यक्तियों को आश्चर्य, संबंध, प्रेरणा, तथा यहाँ तक कि संतोष/आनंद के लिए एक अद्वितीय क्षमता को अपनाने में सहायता करता है? क्या भारतीय दृष्टिकोण से डिजिटल मानविकी हो सकती है?

प्रस्ताव पात्रता मानदंड/सिद्धि (प्रेपरेशन) एवं प्रस्तुतीकरण दिशा निर्देश

आईकेएस प्रभाग भारतीय ज्ञान प्रणाली में कार्यरत शोधकर्ताओं से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (निजी/सार्वजनिक) में संकाय सदस्य, सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशालाएं एवं एनजीओ/ट्रस्ट/फाउंडेशन (दर्पण पोर्टल पंजीकरण एनजीओ के लिए अनिवार्य है) आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस अनुदान की पात्रता प्राप्त होने के लिए, एनजीओ/ट्रस्ट/फाउंडेशन को ***पूर्ण रूप से*** भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित अनुसंधान एवं शिक्षा में कार्य करना चाहिए। **संस्थागत संबद्धता के बिना स्वतंत्र शोधकर्ता आवेदन करने के <u>पात्र नहीं हैं</u>। ऐसे शोधकर्ता जो आईकेएस प्रभाग द्वारा शोध प्रस्ताव कार्यक्रम/आईकेएस केंद्र कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व के चरणों में वित्त पोषित किए जा चुके हैं परियोजना अधिकारी (पीआई) या सह परियोजना अधिकारी (को पीआई) के रूप में आवेदन करने के लिए <u>पात्र नहीं हैं</u>। यद्यपि वे एक सहयोगी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।**

सर्वोत्तम शोध के लिए अनुदान देना हमारी प्राथमिकता है। यदि प्रस्तावों को समान रूप से अंक किया जाता है, तो हम सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के क्रम में वरीयता देते हैं। **शोधकर्ता मुख्य अन्वेषक के रूप में अधिकतम दो प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्तु केवल एक को ही वित्त पोषित किया जाएगा। एक शोधकर्ता परियोजना अधिकारी या सह-परियोजना अधिकारी के रूप में अधिकतम तीन प्रस्तावों में सम्मिलित हो सकता है।** यदि कोई संकाय सदस्य दो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और दोनों का वित्त पोषण हेतु चयन किया गया है, तो उस व्यक्ति से उस प्रस्ताव के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह धन प्राप्त करना चाहता/चाहती है। **प्रस्ताव आठवीं अनुसूची या अंग्रेजी में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है।**

1. समस्त प्रस्ताव भारतीय ज्ञान प्रणाली के महत्वपूर्ण अनुसंधान लक्ष्य से सम्बंधित शोधकार्यों पर केंद्रित होना चाहिए। शोध आधारभूत या व्यावहारिक हो सकता है। **उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंततः व्यावहारिक उत्पादों या अभ्यास के रूप में परिणामित हो अथवा समकालीन समस्याओं के समाधान की ओर ले जा सके।**

2. **<u>यह अनिवार्य है कि दल में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति (पी. आई./को. पी. आई. या सहयोगी) हो जो बिना किसी सहायता अथवा अनुवाद के प्राथमिक पाठ पढ़ सके।</u>**

3. संयुक्त एवं अंतर्विषयक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है एवं प्रोत्साहित किया जाता है।

4. प्रारूपिक शोध परियोजनाओं के लिए 5-10 लाख रुपये का अनुदान है, तथा प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 20 लाख होगी। परियोजना अवधि 02 वर्ष है।

5. **31 दिसंबर, 2024** से पूर्व समस्त परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, जब तक कि समय सीमा में वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की जाती।

6. **प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल (iksindia.org) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। <u>अन्य किसी भी रूप में प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।</u> प्रस्ताव प्रेषित करने की समय सीमा 30 सितम्बर रातत्रि 11:59 तक है। <u>विलंबित प्रस्तावों को किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>**

7. 30 नवंबर 2022 को चयनित प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी एवं अनुदान राशि दिसंबर 2022 के मध्य तक उपलब्ध होगी।

8. प्रगति प्रतिवेदन 1 जुलाई 2023 को देय है। एक वर्ष के उपरांत परियोजना में किए गए शोध की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी। अनुकूल अनुशंसाओं पर ही भविष्य में अनुदान दिया जाएगा।

9. अंतिम प्रतिवेदन 31 दिसंबर, 2024 को देय है। एक विस्तृत प्रतिवेदन के अतिरिक्त, आईकेएस प्रभाग अनुरोध करता है कि प्रत्येक प्रतिवेदन के साथ सामान्य जनोपयोगी सारांश जो 300-शब्दों से अधिक न हो (वेबपेज पर सार्वजनिक रूप से प्रेषित करने हेतु उपयुक्त) तथा कार्य से सम्बंधित पर्याप्त चित्र प्रस्तुत करें। इनका उपयोग आईकेएस के वार्षिक प्रतिवेदन या हमारे अन्तर्जाल पर किया जा सकता है।

10. कृपया अपना प्रस्ताव अधोलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार भरें। प्रस्ताव सम्बंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आपके प्रस्ताव की समीक्षा नहीं की जयेगी एवं कोइ धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

<u>कृपया दिए गए प्रस्ताव टेम्पलेट उपयोग करें।</u> यदि आप इस प्रलेख (डॉक्यूमेंट) में दिए गए टेम्पलेट संस्करण का उपयोग करते हैं, तो आपको पेज एवं मार्जिन को समायोजित करना होगा। **टेम्प्लेट का पालन नहीं करने वाले प्रस्तावों को बिना समीक्षा के अस्वीकार कर दिया जाएगा।** एवं इस सम्बन्ध में किये गए किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- ➢ प्रदान किए गए हस्ताक्षर पृष्ठ का उपयोग करें और इसे अपने दस्तावेज़ में एक पृथक पृष्ठ बनाएं।
- ➢ दिए गए आमुख पृष्ठ को पूर्ण करें। इसे अपने प्रलेख (डॉक्यूमेंट) का एक पृथक पृष्ठ बनाएं।
- ➢ प्रदान किए गए आमुख पृष्ठ को पूर्ण करें। इसे अपने प्रलेख में एक पृथक पृष्ठ बनाएं। प्रस्ताव उपयुक्त संदर्भों से युक्त एवं दस (10) पृष्ठों से अधिक दीर्घ नहीं होना चाहिए। कृपया अपना प्रस्ताव स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखें एवं केवल उद्धृत किये गये संदर्भों को ही सूचीबद्ध करें।

➢ पृष्ठ की प्रत्येक दिशा में 1 इंच मार्जिन, एकल लाइन अंतराल एवं न्यूनतम 11-पॉइंट फॉन्ट का प्रयोग करें।
➢ पृष्ठ संख्या को नीचे मध्य में रखें।
➢ एक संपूर्ण प्रस्ताव में निम्नलिखित पृथक-पृथक प्रलेख सम्मिलित हैं (केवल पीडीएफ रूप में):
    ❖ प्रलेख 1: आमुख पृष्ठ
    ❖ प्रलेख 2: प्रस्ताव कथ्य
    ❖ प्रलेख 3: आय-व्ययक (बजट) पृष्ठ
    ❖ प्रलेख 4: परियोजना अधिकारी एवं सह परियोजना अधिकारी का सारवृत्त
    ❖ प्रलेख 5: परियोजना अधिकारी हस्ताक्षर तथा संस्थागत अनुमोदन पृष्ठ
➢ प्रत्येक प्रलेख संचिका (फाइल) 10MB से लघु होनी चाहिए
➢ प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद इसे निम्नलिखित नामकरण प्रारूप के साथ पीडीफ संचिका के रूप में संरक्षित करें - YOURLASTNAME_IKS_BGS3
यदि आप दो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रत्येक संचिका नाम में एक पहचान प्रत्यय समायोजित करें अर्थात YOURLASTNAME_IKS_BGS3 _ projectname

11. प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया

- कृपया आईकेएस प्रभाग के जालस्थल (वेबसाइट) पर जाएं एवं विवरण भरें: iksindia.org
- अपनी पीडीएफ प्रस्ताव संचिका उपरोपित (अपलोड) करें (<10 एमबी) एवं अग्रस्थापित (सबमिट) करें।
- यदि जालस्थल पर आपका प्रस्तुतीकरण सफल रहा है, तो दो दिनों के अन्दर आपको एक पुष्टीकरण अधिसूचना भेजी जाएगी। सफलतम प्रस्ताव भेजने के उपरांत भी सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया आईकेएस से संपर्क करें।

12. धन-राशि (बजट) आवन्टन :
- दो वर्षों के शोध के लिए कुल 20 लाख उपलब्ध होंगे जो दो भागों में स्वीकृत किए जाएंगे।
- बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः अस्वीकृत करते हुए बिना समीक्षा   के ही प्रत्यर्पित (रिटर्न) कर दिये जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में कोइ पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- वित्त पोषण निम्नलिखित उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाएगा
  ❖ **वेतन:** परियोजना कर्मियों / परियोजना सहयोगियों / अनुसंधान फेलोशिप / प्रशिक्षुओं (इंटर्न) के लिए वेतन। परियोजना अधिकारीएवं सह परियोजना अधिकारी के लिए वेतन/मानदेय देय नहीं होगा।
  ❖ **आपूर्ति:** इसके अंतर्गत ₹10,000 से कम मूल्य के उपकरण सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए ₹1000 मूल्य का तापमान संवेदक या रासायनिक बोतल प्रत्येक आपूर्ति के अंतर्गत मान्य होंगे। नमूनों के विश्लेषण के लिए किसी सेवा शुल्क को इस बजट शीर्ष में शामिल किया जा सकता है।

- **उपकरण/ सुविधाएं:** 10,000 रुपये से अधिक या कम मूल्य की कोइ एक उपभोज्य-रहित (नान कंस्युमेबल) सामग्री उपकरण के अंतर्गत आती है। कृपया ध्यान दें कि इस परियोजना के अंतर्गत नवीन निर्माण सुविधाओं (ईंट और मोर्टार) की अनुमति नहीं है। इस बजट शीर्ष के अंतर्गत पुस्तकों जैसे संसाधनों का उपार्जन स्वीकार्य है। कंप्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर के क्रय की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में, दृढ़ प्रामाणिकता के साथ एवं आईकेएस प्रभाग के सुस्पष्ट अनुमोदन के साथ दी जाती है। उपकरण/सुविधाओं से सम्बंधित अधिकतम बजट कुल बजट के 20% से अधिक नहीं हो सकता।
- **यात्रा व्यय एवं सम्मेलन:** इस अनुदान के अंतर्गत भारत के अन्दर एवं अंतर्देशीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु किसी भी यात्रा एवं संबंधित व्यय की अनुमति है। स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी रूप में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है। परियोजना अधिकारी को वार्षिक आईकेएस संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेना आवश्यक हैएवं इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। अधिकतम स्वीकार्य यात्रा एवं सम्मेलन व्यय कुल बजट का 5% है।
- **आकस्मिक व्यय :** अनुमत अधिकतम आकस्मिक व्यय कुल बजट का 5% है।
- **उत्तर व्यय (ओवर हेड):** अधिकतम स्वीकृत उत्तर व्यय कुल बजट का 5% है।

अनुकूलन अनुदान (मैचिंग ग्रांट): यद्यपि अनिवार्य नहीं है, तथापि आईकेएस प्रभाग के अल्प संसाधनों के साथ इस क्षेत्र में अधिकतम लाभ लेने हेतु अनुकूलन अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता के माध्यम से संस्थागत समर्थन को प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया इस परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से मौद्रिक एवं वस्तुगत सहायता मिलने की सूचना अवश्य दें।

13. कोई भी प्रश्न होने पर कृपया आईकेएस प्रभाग (iksresearch@aicte-india.org) को सूचित करें।

समीक्षा प्रक्रिया

1. हम एक पक्षपात रहित एवं समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया (पिअर रिव्यू) का पालन करेंगे।
2. समीक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंकन मानदंड नीचे दिए गए हैं।
3. समस्त प्रस्तावों की कई स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी।
4. अंतिम चयन के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण होगा।
5. चरण III के परियोजना अधिकारियों को उनके प्रस्ताव के लिए औसत अंक एवं समीक्षक टिप्पणियाँ प्रदान की जायेंगी। चयनित प्रस्तावों के लिए न्यूनतम कटऑफ प्राप्तांक भी अकादमिक प्रक्रिया की अखंडता एवं पारदर्शिता के हित में साझा किये जायेंगे।

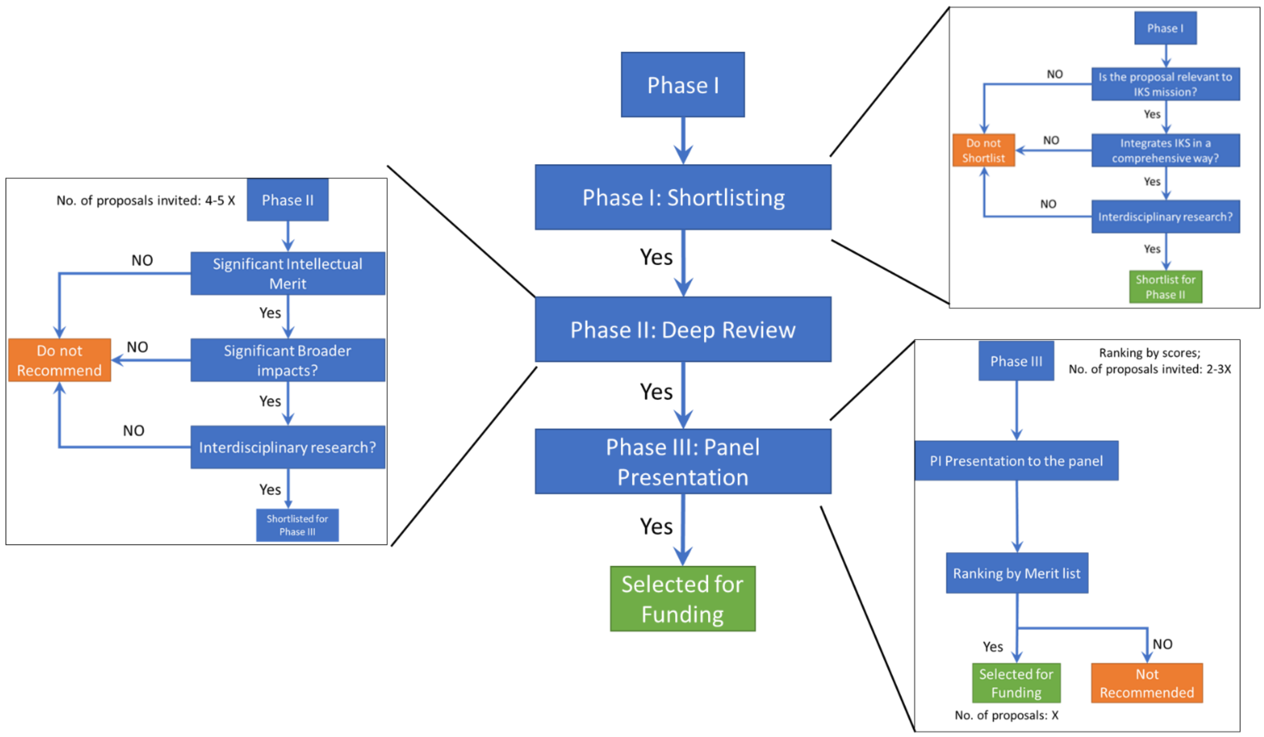

चित्र 1. तीन चरणों की समीक्षा प्रक्रिया का अवलोकन

प्रस्ताव मूल्यांकन मानदंड

समीक्षकों द्वारा अन्य प्रस्तावकों के विरुद्ध आपके प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। कृपया इन प्रश्नों के सम्बन्ध में ध्यान से विचार करें एवं निर्दिष्ट प्रस्ताव संरचना का उपयोग करके अपने प्रस्ताव में उनका स्पष्ट उत्तर दें।

- क्या **अनुसंधान योजना एवं लक्ष्य** स्पष्ट रूप से बताए गए हैं एवं **उपलभ्य (समझने योग्य) हैं?** (10 अंक)
- क्या यह **परियोजना** आईकेएस प्रभाग के ध्येय तथा लक्ष्य क्षेत्रों के लिए **प्रासंगिक है?** (20 अंक)
- क्या प्रस्तावित शोध किसी **महत्वपूर्ण समस्या या संभावना** को संबोधित करता है? प्रस्तावित शोध किस स्तर तक **मौलिक, नवोन्मेषी या नवीन** है? (20 अंक)
- क्या इस अध्ययन के **परिणाम उपयोगी** होंगे? क्या परिणाम **परिवर्तन लाने में सक्षम** हो सकते हैं? इस शोध के **आर्थिक/पर्यावरणीय/सामाजिक लाभ** क्या हैं? (15 अंक)
- क्या **प्रस्तावित बजट** परियोजना में किए जाने वाले कार्य के लिए **उपयुक्त प्रतीत होता है?** (10 अंक)
- क्या परियोजना अधिकारी एवं कार्यदल के पास प्रस्तावित विषय में शोध करने के लिए आवश्यक क्षमता, पूर्व अनुभव एवं विशेषज्ञता है? (25 अंक)

प्रस्ताव सामर्थ्य (100 शब्दों तक): कृपया प्रस्ताव में निहित विशिष्ट सामर्थ्य को सूचीबद्ध करें।
प्रस्ताव दौर्बल्य (100 शब्दों तक): कृपया प्रस्ताव में निहित विशिष्ट दौर्बल्य को सूचीबद्ध करें यदि कोई हो।
दौर्बल्यता होने के उपरांत भी क्या आपको लगता है कि प्रस्ताव में कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं जिनके कारण परियोजना को समर्थन के लिए अभी भी विचार किया जा सकता है?

सारांश विवरण (100 शब्दों तक): कृपया बताएं कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए या नहीं।

प्रस्ताव रचना करने के लिए मार्गदर्शन

प्रस्ताव रचना के समय विचारणीय बिंदु

1. भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग **भारतीय ज्ञान प्रणाली से सम्बंधित अनुसंधान कार्य** का समर्थन करना है जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में सार्थक योगदान देगा।

2. एक उत्तम प्रस्ताव इस बात पर बल देगा कि प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य या तो निकट भविष्य में आईकेएस के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अथवा दीर्घ काल में किसी प्रमुख विकास हेतु योगदान करना है। संदर्भित जिज्ञासाओं का साधारण रूप से शमन करना या सामग्री संकलित कर लेना मात्र आईकेएस प्रभाग का लक्ष्य नहीं होगा एवं यह समीक्षकों को प्रभावित नहीं करेगा।

3. **परियोजनायें दृढ़तापूर्वक आईकेएस विषयों से संबंधित होना चाहिए।** जो परियोजनाएं इस अनुरोध की सीमा से बाहर हैं, उन्हें इस संबंध में कोई अन्य सूचना दिए बिना ही समीक्षा चरण 1 (आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया) में निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजनाओं में स्पष्ट अवसर (स्कोप) दिखाई देना चाहिए जो दो वर्ष में पूर्ण किया जा सके। परियोजनाओं में स्पष्ट परिमाणात्मक प्रदायता होनी चाहिए। सभी परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत प्रतिवेदन लिखना आवश्यक है। उन परियोजनाओं के लिए जिनमें प्रदर्शन कलाएं सम्मिलित हैं, एक व्यापक मल्टीमीडिया प्रलेखीकरण की अपेक्षा की जाती है।

तालिका 1. उदाहरण - आईकेएस के परिपेक्ष्य में एक परियोजना योग्य है अथवा अयोग्य ?

आईकेएस परियोजना है	आईकेएस परियोजना नहीं है
पुरातन सेतु/दुर्ग/मंदिरों में प्रयुक्त वज्र विलेप्य (मोर्टार) संरचना का अध्ययन।	किसी निवास क्षेत्र में स्थित पुलों एवं जहाजों का अध्ययन।
समुदायों में प्रचलित जल उपचार विधियों का प्रलेखीकरण एवं मूल्यांकन।	किसी नदी में प्लास्टिक प्रदूषण आदि का अनुवीक्षण करना।
वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु चाणक्य के अर्थशास्त्र की उपयुक्तता एवं प्रयोज्यता का	एडम स्मिथ या एमएमटी के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन।
धोलवीर एवं लोथल में बंदरगाह निर्माण का अध्ययन एवं उन बंदरगाहों की क्षमता का आकलन।	एक बंदरगाह में जहाजों का अध्ययन।
छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर संस्कृत शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन।	यह देखने के लिए विद्यालयों का भ्रमण करना कि संस्कृत शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है।
वर्तमान सामाजिक संदर्भ के लिए एक पुराण में शब्दों के प्रासंगिक एवं व्युत्पत्ति संबंधी अर्थों की पहचान करना (उदा. धर्म, न्याय, पाप, पुण्य)।	एक पुराण में शब्दों (जैसे धर्म, न्याय, पाप, पुण्य) की घटनाओं की गणना करना

4. स्पष्ट संप्रेषण महत्वपूर्ण उपाय है : ऐसे प्रस्ताव जो शोध के योगदान को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं अधिक अंक प्राप्त करेंगे।

5. क्योंकि शोध परिणामों को संभावित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है अत: इस प्रकार की गतिविधियों के भुगतान हेतु धन का अनुरोध करने की अनुमति है।

6. नवीन निर्माण सुविधाओं (ईंट एवं मोर्टार) की अनुमति नहीं है। प्रस्तावित अनुसंधान करने के लिए आवश्यक उपकरण अनुरोधों की अनुमति है। प्रस्ताव में आपकी आवश्यकताओं का वर्णन होना चाहिए एवं यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि इस विशिष्ट शोध में उपकरण का उपयोग कैसे किया जाएगा। आपकी प्रयोगशाला को अत्युत्तम सुसज्जित करने या अन्य कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

7. संभव है कि आपके समीक्षक ऐसे विद्वान हों जिन्हें आपके क्षेत्र विशेष में प्रस्तुत किये गए विवरण की केवल न्यूनतम जानकारी हो। कृपया अपने प्रमाणीकरण, उद्देश्यों, प्रक्रियाओं एवं प्रभावों को इस प्रकार व्यक्त करें कि एक व्यक्ति जिसकी आपके क्षेत्र में केवल सीमित पृष्ठभूमि हो, वह भी आपके मंतव्य को सरलता से समझ सके - यह कुछ ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी के पड़ोसी के साथ वार्ता कर रहे हैं। ऐसे प्रस्ताव जो समीक्षक के द्वारा सरलता से नहीं समझे जा सकते हैं, उनका निम्न मूल्यांकन होने एवं वित्त पोषित नहीं होने की संभावना है।

8. यद्यपि आपके लिए अपना आईकेएस प्रस्ताव निर्मित करते समय किसी अन्य प्रस्ताव से सामग्री का कर्तनलेपन (कट-पेस्ट) करना सरल हो सकता है, किन्तु यह स्पष्ट होने पर कि आपने ऐसा किया है, आपका प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप किसी अन्य के वाक्यांशों या विचारों को भी स्वीकारते हैं (यद्यपि कर्तनलेपन नहीं किया हो) तो भी यह सुनिश्चित करें कि आपने दिनांक, समय-सारिणी या कर्तनलेपन दर्शाने वाले ऐसे किसी भी संदर्भों को हटाने के लिए अपने प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया है।

9. मूल एवं नवाचार युक्त शोध कार्य अधिक स्वीकारात्मक होंगे। यदि उपयुक्त हो, आपका प्रस्तावित अध्ययन इस विवरण के साथ किस स्तर तक अनुरूपता व्यक्त करता है, इसका वर्णन करें।

10. भविष्य के वित्त पोषण का अनुमान करना मुश्किल है, किन्तु हमें बताएं कि आपके शोध परिणाम भविष्य में अन्य स्रोतों से अनुदान निधि की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकते हैं।

11. कृपया ध्यान दें कि इस शोध को वित्तपोषित करने के लिए धन सीमित है। हम वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या का आमन्त्रण धन-राशि की उपलब्धता के आधार पर करेंगे।

12. सुनिश्चित करें कि आपके पाठ्य में उद्धृत किये गए समस्त संदर्भ, उद्धरण संदर्भ तालिका के अनुरूप हैं। सुनिश्चित करें कि मिथ्या सन्दर्भ (सन्दर्भ जो पाठ्य में उद्धृत किये गए है किन्तु सन्दर्भ सूची में नहीं हैं) हटा दिए गए हैं। पाठकों के नैतिक उन्नयन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी से सम्बंधित वेब लिंकों को पाठ्य में सम्मिलित किया जा सकता है। समस्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में न्यूनतम एक प्राथमिक पाठ्य अवश्य रूप से सन्निहित होना चाहिए। कृपया शोध पत्रिका के लेखों के वेब लिंक का उपयोग न करें।

13. यदि आप किसी परियोजना को पूर्ण करने के लिए आईकेएस परियोजना धनराशि का उपयोग किसी अन्य वित्त अनुदान के साथ करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट पृष्ठ पर अन्य अनुदान स्रोत (स्रोतों) एवं राशि का भलीभांति उल्लेख करें। यह समीक्षकों के लिए अनुदान स्रोत के उपयोग एवं संभावनाओं को जानने में सहायक होगा।

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग @ एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय

भारतीय ज्ञान संवर्धन योजना

प्रतियोगी अनुदान कार्यक्रम - 2022 -23

प्रस्ताव आमुख पृष्ठ आईकेएस-2022 (पृष्ठ सीमा से बाहर है)

प्रस्ताव शीर्षक :

मुख्य शोधकर्ता :

नाम :
ई संकेत :
दूरभाष :
शैक्षणिक श्रेणी :
नियुक्ति प्रकार :
कार्य स्थल :
शैक्षणिक विभाग :

सह-परियोजना अधिकारी (यदि कोई हो):

सहकर्मी/सहयोगी (यदि कोई हो):

परियोजना बजट राशि :

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं परियोजना का नेतृत्व करूंगा तथा प्रस्ताव में उल्लिखित सभी कार्यों को पूरा करूंगा। मैं प्रमाणित करता हूं कि परियोजना के अंत में एक सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं इस कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी प्रकाशन में भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहयोग हेतु आभार स्वीकृति की जायेगी।

मुख्य शोधकर्ता :

____

दिनाँक

परियोजना अधिकारी का मुद्रित नाम

2022-23 भारतीय ज्ञान प्रणाली संवर्धन योजना प्रस्ताव की विषय वस्तु

(पृष्ठ सीमा - दस-पृष्ठ; विभिन्न वर्गों के लिए नियत शब्द सीमा का उल्लंघन होने पर प्रस्ताव बिना समीक्षा किये ही निरस्त कर दिए जाएंगे)

परियोजना का संक्षिप्त विवरण (250 शब्द) : परियोजना किस सम्बन्ध में है? परियोजना से सम्बंधित अपनी धारणा/विचारों का वर्णन करें।

आईकेएस लक्ष्य में योगदान (250 शब्द) : यह परियोजना आईकेएस की लक्ष्य प्राप्ति में कैसे योगदान करती है?

प्रामाणिकता (500 शब्द) : कृपया परियोजना तथा उसके महत्व का औचित्य वर्णन करें।

उद्देश्य और समय सीमा (250 शब्द) : कृपया इस परियोजना के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की एक स्पष्ट सूची प्रदान करें। इस आरएफपी के लिए एक से तीन उद्देश्य उचित हैं। स्पष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाएगा।

परियोजना बौद्धिक महत्व (250 शब्द) : इस परियोजना का बौद्धिक महत्व क्या है? कृपया परियोजना के वैज्ञानिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें। प्रस्तावित शोध के अंतर्गत कौन से वैज्ञानिक समाधान प्राप्त किए जाएंगे?

परियोजना का व्यापक प्रभाव (250 शब्द) : सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजना का व्यापक प्रभाव क्या हैं?

प्रस्ताव की उत्पादकता एवं निष्कर्ष (250 शब्द): परियोजना की उत्पादकता एवं परिणाम क्या हैं? कृपया विशिष्ट उत्पादों एवं परिणामों की एक सूची तैयार करें। यह वर्णन निबन्धात्मक रूप से न करें।

प्रक्रियाएं (1000 शब्द) : कृपया इस परियोजना में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सारांश प्रदान करें। प्रक्रियाओं का सार लिखते समय पर्याप्त साहित्यिक संदर्भ प्रदान करना सुनिश्चित करें।

परियोजना दल की विशेषज्ञता (250 शब्द) : कृपया प्रस्तावित विषय में परियोजना अधिकारी एवं सह परियोजना अधिकारी के पूर्व अनुभवों के सम्बन्ध में उल्लेख करें। प्रस्ताव में उल्लिखित शोध कार्य के सम्पादन के लिए दल को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? प्रस्ताव के प्रत्येक घटक को निष्पादित करने के लिए प्रारंभिक परिणामों के संदर्भ में प्रत्येक अन्वेषक के पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

सह-परियोजना अधिकारी एवं सहकारिता अधिकारी (यदि मुख पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं) की विशिष्ट भूमिकाएं (250 शब्द) : दल के सदस्यों की विशिष्ट भूमिकाएं क्या हैं? दल के सभी सदस्यों का पर्याप्त योगदान सम्मिलित

होना चाहिए। यदि प्रस्ताव में एक से अधिक अन्वेषक शामिल हैं, तो प्रस्ताव के उद्देश्यों को लागू करने में प्रत्येक अन्वेषक की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

समयसीमा (100 शब्द) : परियोजना कार्यों के लिए समय-सीमा तथा गतिविधियों की सूची को आरेखीय माध्यम से उल्लेख करें।

उद्धृत संदर्भ (पृष्ठ सीमा से बाहर है) :

- **प्राथमिक संदर्भ:** रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। न्यूनतम एक प्राथमिक पाठ सम्मिलित होना चाहिए। प्राथमिक संदर्भ प्रस्तावित शोध से संबंधित मूल पाठ है। यह सामान्यत: संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं में होते हैं। दल में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो बिना किसी सहायता या किसी अनुवाद के प्राथमिक पाठ पढ़ सके।

- **अनूदित प्राथमिक पाठ तथा द्वितीयक संदर्भ:** ये प्राथमिक ग्रंथों के अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में किये गए अनुवाद से संबंधित हैं। द्वितीयक संदर्भ, प्राथमिक ग्रंथों के लिए टीका के रूप में पाठों / लेखों को संदर्भित करते हैं ।

- **अन्य संदर्भ:** अन्य सभी प्रासंगिक संदर्भ यहां सम्मिलित हैं।

2022-23 आईकेएस बजट *(पृष्ठ सीमा के बाहर है - कृपया सभी आंकड़ों को निकटतम सौ रुपये में पूर्णांकित करें)*

टिप्पणी: कृपया 20 लाख रुपये प्रति परियोजना सीमा का उल्लंघन न करें। बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः अस्वीकृत करते हुए बिना समीक्षा के ही प्रत्यर्पित (रिटर्न) कर दिये जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में कोइ पत्राचार नहीं किया जाएगा।

वेतन : परियोजना कर्मियों / परियोजना सहयोगियों / अनुसंधान फेलोशिप के लिए वेतन सम्मिलित है । परियोजना अधिकारी एवं सह परियोजना अधिकारी के लिए वेतन/मानदेय देय नहीं होगा।

आपूर्ति : इसके अंतर्गत ₹10,000 से कम मूल्य के उपकरण सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए ₹1000 मूल्य का तापमान संवेदक या रासायनिक बोतल प्रत्येक आपूर्ति के अंतर्गत मान्य होंगे। नमूनों के विश्लेषण से सम्बंधित सेवा शुल्क भी इस बजट शीर्ष में सम्मिलित है।

उपकरण/सुविधाएं : 10,000 रुपये से अधिक या कम मूल्य की कोइ एक उपभोज्य-रहित (नान कंस्युमेबल) सामग्री उपकरण के अंतर्गत आती है। कृपया ध्यान दें कि इस परियोजना के अंतर्गत नवीन निर्माण सुविधाओं (ईंट और मोर्टार) की अनुमति नहीं है। इस बजट शीर्ष के अंतर्गत पुस्तकों जैसे संसाधनों का उपार्जन स्वीकार्य है। कंप्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर के क्रय की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में, दृढ़ प्रामाणिकता के साथ एवं आईकेएस प्रभाग के सुस्पष्ट अनुमोदन के साथ दी जाती है। उपकरण/सुविधाओं से सम्बंधित अधिकतम बजट कुल बजट के 20% से अधिक नहीं हो सकता (अर्थात ₹ 4.0 लाख)।

यात्रा एवं सम्मेलन : इस अनुदान के अंतर्गत भारत के अन्दर एवं अंतर्देशीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु किसी भी यात्रा एवं संबंधित व्यय की अनुमति है। स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी रूप में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है। परियोजना अधिकारी को वार्षिक आईकेएस संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेना आवश्यक है एवं इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। अधिकतम स्वीकार्य यात्रा एवं सम्मेलन व्यय कुल बजट का 5% (अर्थात ₹ 1.0 लाख) है।

आकस्मिक व्यय : अधिकतम स्वीकृत आकस्मिक व्यय कुल बजट का 5% (अर्थात 1 लाख रुपये) है।

उत्तर व्यय (ओवर हेड): अधिकतम स्वीकृत उत्तर व्यय कुल बजट का 5% (अर्थात 1 लाख रुपये) है।

कुल:

अन्य अनुदान स्रोत (यदि कोई हो): यद्यपि अनिवार्य नहीं है, तथापि आईकेएस प्रभाग के अल्प संसाधनों के साथ इस क्षेत्र में अधिकतम लाभ लेने हेतु अनुकूलन अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता के माध्यम से संस्थागत

समर्थन को प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया इस परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से मौद्रिक एवं वस्तुगत सहायता मिलने की सूचना अवश्य दें।

व्यक्तिगत वृत्त का प्रारूप

(प्रत्येक अन्वेषक के लिए दो पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत वृत्त पृष्ठ सीमा से बाहर है)

1. नाम :

2. पत्राचार का पता :

3. ई संकेत :

4. दूरभाष :

5. संस्थान :

6. शैक्षणिक योग्यता :

7. कार्य अनुभव (कालानुक्रमिक क्रम में) :

8. व्यावसायिक मान्यता/पारितोषिक/पुरस्कार/प्रमाणपत्र, शोधवृत्ति :

9. समकक्ष समीक्षित प्रकाशन :

10. पेटेंट का विवरण (यदि कोई हो) :

11. पुस्तकें/प्रतिवेदन/अध्याय/सामान्य लेख आदि :

12. पूर्व 5 वर्षों के अंतराल में चल रही/पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं :

13. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपकी क्षमता (अधिकतम 500 शब्द):

14. कोई अन्य जानकारी (अधिकतम 500 शब्द)

परियोजना अधिकारी से प्रमाण पत्र

(पृष्ठ सीमा से बाहर)

परियोजना का शीर्षक :

प्रमाणित किया जाता है कि

1. परियोजना प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं वचन देता हूं कि अतिरिक्त समय में परियोजना में क्रय किये गए उपकरण अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाएंगे।

3 यदि परियोजना में क्षेत्रीय चरण/प्रयोग/नमूनों का आदान-प्रदान, मानव एवं पशु सामग्री आदि सम्मिलित हैं, तो मैं संबंधित नैतिक समिति से नैतिक स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं।

4. योजना/परियोजना में प्रस्तावित शोध कार्य इस विषय पर पूर्व में किए गए या अन्यत्र किए जा रहे कार्य की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) किसी भी प्रकार से नहीं है।

5. मैं आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के नियमों और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर

परियोजना अधिकारी का नाम

परियोजना अधिकारी की संबद्धता

दिनांक :

स्थान :

संस्थान प्रमुख का अनुमोदन

(पृष्ठ सीमा से बाहर है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. प्रमाणित किया जाता है कि शीर्षक___________________ नामक परियोजना के लिए मुख्य परियोजना अधिकारी के रूप में ______________ की एवं सह- परियोजना अधिकारी के रूप में __________ की भागीदारी का संस्थान स्वागत करता है, तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते प्रधान परियोजना अधिकारी की अनुपस्थिति में आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय को उचित जानकारी देते हुए परियोजना के सफलतम समापन का समस्त दायित्व सह परियोजना अधिकारी का होगा।

2. परियोजना का दिन उस दिनाँक से प्रारम्भ होगा जब संस्थान को आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त होता है।

3. परियोजना अन्वेषक संस्थान के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा तथा परियोजना की अवधि के लिए संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

4. शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गए सहायता अनुदान का उपयोग परियोजना पर प्रस्तावित व्यय को एवं प्रस्तावित अवधि में पूर्ण करने के लिए किया जाएगा जैसा कि स्वीकृति आदेश में उल्लिखित है।

5. परियोजना के अंत में शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, नई दिल्ली के साथ कोई प्रशासनिक या अन्य दायित्व संलग्न नहीं किया जाएगा।

6. संस्थान शोध परियोजना का प्रारम्भ करने के लिए परियोजना अन्वेषक को बुनियादी ढांचा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

7 . संस्थान उपरोक्त परियोजना में सृजित सभी संपत्तियों को अपने लेखा में सम्मिलित करेगा तथा इसका निदान शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, नई दिल्ली के विवेक पर होगा।

8 . संस्थान द्वारा परियोजना के वित्तीय तथा अन्य प्रबंधन दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित है।

मुद्रांकन सहित संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनाँक: